

11282/2012 (3) 1/12222 (112)



B 887008



1. भूमि का प्रकार - कृषि भूमि
2. भौहस्ता/ग्राम.....भौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा
3. गापन की इकाई (हैक्टेयर) रकबा 0.506 हैक्टेयर
4. सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन नहीं
6. बोरिंग/कुआ/अन्य नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि 5000000/- रुपये
8. रताम्प हेतु गालियत 500000/- रुपये
9. स्टाम्प देय 350000/- रुपये
10. सातकासै पर भूमि सडक से दूर 6000000/- रुपये प्रति हैक्टेयर जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं० 30 क्रमांक 15 पर दर्ज है। कार्यक्षेत्र 20नि० मथुरा -प्रथम

नि. मजहर

Signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 887009



(2)

विक्रेता की संख्या ()

विक्रेता का विवरण

सनोहर पुत्र श्री मुकुन्दा निवासी ग्राम सतोहा असगरपुर तहसील ब जिला मथुरा

क्रेता की संख्या ()

क्रेता का विवरण

एराजेपी० ग्लोबल लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालोनी, मोवर्धन चौराहा, मथुरा

सनोहर

अग्रवाल





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 887010

(3)

मैं कि मनोहर पुत्र श्री मुकन्दा निवासी ग्राम सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा का हूँ।

जो कि आराजी सकमणीय.सूमिधारी खाता नंबर-321 व खसरा नंबर-57 रकबा 2.424 हैक्टेयर लगानी रुबरु कागजात मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा मिलिक्यत मेरी थी जिसमें से कुछ भाग भूमि मैं पूर्व में क्रेता को ही बेच चुका हूँ शेष बची हुई आराजी मिलिक्यत मेरी है और सरकारी कागजात भाल

A. Manohar

A. Manohar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 887011

(4)

मेरे मेश नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। जिस पर मेरा कब्जा है और जिसके विषय में मुझे हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है जिसमें सिवाय मेरे अन्य किसी का कोई हक हिस्सा या सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो मेरे इस बैनामा करने में कोई रुकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय

दिनांक



Signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 887012

(5)

संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी दार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिल्कियत मेरी ही है कृषी से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में मेरा सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रुपये को कहीं

वि. प्रमोद

Homawes



B 887013

(8)

भी लगा देने से मुझको एक अच्छी व निश्चित आय हो जायेगी अतः अपनी शेष बची हुई आराजी मे से आराजी रकवा 0.506 हैक्टेयर आराजी को समस्त अधिकारों सहित जो मुझको प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हो वएवज 5000000/- पचास लाख रुपये जिसके आधे 2500000/- पच्चीस लाख रुपया होते हैं। बदस्ताएराणजे 0पी0 ग्लोबल लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र श्री सुभाशकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजगुनाथम कालौनी, गोवर्धन बौराहा, गधुरा के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का

नि. महेश

Homawar





उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

8 887014

6 JUL 2012

(7)

कुल रुपया खरीदार से ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्श तिलकद्वार, मथुरा शाखा
के पांच किता बैंक प्रथम नंबर-031641 द्वितीय नंबर-नंबर-031642 य तृतीय
नंबर-नंबर-031643 व चतुर्थ नंबर-नंबर-031644 व पंचम नंबर-नंबर-031645

दि. 16/12

Momares



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 887015

5 JUL 2012

(8)

प्रत्येक लादाही 1000000/-रुपये द्वारा पाकर बेची गई उक्त आराजी पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची गई आराजी रकवा 0.506 हैक्टेयर का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अदि कार मालिकाना प्रयोग में लावे और स्वयं जो चाहे सो करें अब मुझको व मेरे

वि. मजहर

Homawel





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5 JUL 2012

B 88701

(9)

गरिबागों को बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का
शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी को
सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त

दि. ११/०७/१२

Homawes





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 887017

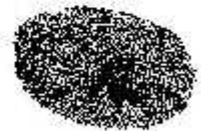
6 JUL 2012

(10)

आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जवाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रुपया मय जर समन व जर लागत

प्र. न. त. व. र.

Amawes





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

887018

B 887018

24 JUL 1972

11)

य स्रुद व हर्जा खरीदार संह मेरे जिम्मे है और खरीदार वह सब मुझसे व मेरे वारिसानों व मेरी चल अचल सम्पत्ति से हस्त जाब्दा मंय खर्चे के बसूल करलें । आराजी एक फसला है विक्रित कृषि भूमि पर कृषि अनवस्त रूप से चल रहा है वर्तमान में भी खेती तो रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी

दिनांक

Signature





12

है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है। बेचे जाने वाली आराजी को संलग्न नक्से में स्पष्ट रूप से रंग लाल से दर्शायी गयी है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। विक्रेता अपनी उक्त आराजी के बेचने का सीधा अन्य किसी भी व्यक्ति से तय नहीं किया है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सरासन्धि) में कृषि कार्य हो रहा है। उक्त प्रलेख क्रोता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के शपथ उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है।

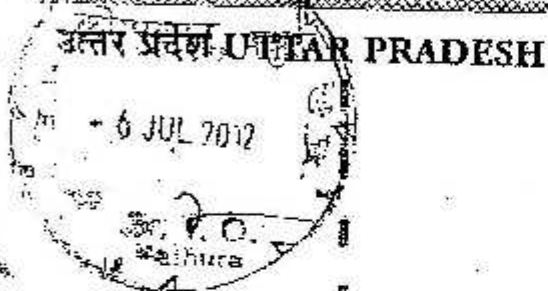
र. महीर

Homawes





B 887020



13

तसदीकी मुख्तास्नामा आग दि०-2.8.2006 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब
रजिस्ट्रार मथुरा में वही नंबर-6 खण्ड 123 के सफा 105/108 पर नंबर-441

वि. नवीर



Homawad





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 887021

6 JUL 2012

14

पर दिनांक-28.2000 हुई है रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी
पाटक गली, राजाधिराज बाजार, मथुरा को उक्त राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर
अग्रवाल निवासी गली उद्देशन शहर मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित
प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

लिहाजा यह बैनामा पखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और
समय पर काम आवें।

दिनांक-7.7.2012

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया मथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा।

[Signature]

[Signature]



मोहनलाल अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी गली उद्देशन शहर मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

(शास्त्रकीय धर्म हेतु)

श्याम का नाम : सतीष्ठा शर्मा

सहस्रीन : सङ्कर

फाइल नं. :- 1418-1423

पृष्ठ : १

सुमि जा राक्षसपुत्र भूमिपति केवशि कार मे ने ।

होना

पु. प्र. प्र.

14034

2002-2003

अवधि १०० दिनों के लिए प्रस्तावित है।
 १. १०० दिनों के लिए प्रस्तावित है।
 २. १०० दिनों के लिए प्रस्तावित है।
 ३. १०० दिनों के लिए प्रस्तावित है।
 ४. १०० दिनों के लिए प्रस्तावित है।
 ५. १०० दिनों के लिए प्रस्तावित है।
 ६. १०० दिनों के लिए प्रस्तावित है।
 ७. १०० दिनों के लिए प्रस्तावित है।
 ८. १०० दिनों के लिए प्रस्तावित है।
 ९. १०० दिनों के लिए प्रस्तावित है।
 १०. १०० दिनों के लिए प्रस्तावित है।

अभिप्रेतवन्तं श्री

१२५। यः जगतीश । श्रीमान् तर्हसिनिदात्तः भरोदयः प्रधुरा वः

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ੧੨ ਜੂਨ ੨੦੨੧

संस्कृत-विश्वकोषः

एनोड्रू पुत्र मुक्तादा निर्धु ज्ञाय आ चोः शर्मिक कः के

डिजा एसीओडीडी ? गोबल डि. डान

॥ ११॥ श्रीः ॥ अथानुबन्धः ॥

सर्वत्र विज्ञातं यथा तत्त्वम् । तद्विज्ञानं च तत्त्वम् ।

13.06.12 के आधार पर निर्धारित 20170 रु

मि. एन. ए. १६.००.१२

142045 श्रीमान नरुः शाध नरोत्त नरुः

आदि प्र० १८२२ ॥ १४॥ ता० १७.०८.११ क० अतुलार

6033 મે મે રજવા 0 50750 નં 5-5

ਜੀਹਰ ਪੁਤ ਮੁਕੰਨਾ ਨਿਰੀ ਮਧ ਕਾ ਧਾਰਾ ਬੋਝੀਯਾ ।

कक्षा प्रारंभिक (1) लीन (1) नि

प्राप्तः। डॉ. धर्मवन्तर गोम अमरधनः पुत्री देनाशंकर क्षात्रायण

[illegible]

साधारण पदें वर्णन संपूर्ण हैं। प्र. १८।

५२४५ म मावैशा श्रीगता तंविशीतिदा॥ मत्रैव मथरुके

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या- २४ / 2012-2013

एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल

बनाम

सरकार

धारा 143 ज0वि0एवं भू0द्व0आ0

गौजा सतोहा असगरपुर

आदेश

प्रार्थी एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111 श्री जगन्नाथम कालोनी गोवर्धन चौराहा मथुरा तहसील व जिला मथुरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक- 5.9.2012 में अंकित किया गया है कि यह गौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या 327 खसरा संख्या 57 मि. रकबा 2.002 है, खसरा संख्या 773 मि. रकबा 0.143 है, खसरा संख्या 813 मि. रकबा 0.030 है, व खसरा संख्या 147 मि. रकबा 0.006 है, कुल 04 किता रकबा 2.181 है, व खाता संख्या 327 खसरा संख्या 56 मि. रकबा 0.369 है, खसरा संख्या 785 मि. रकबा 0.005 है, व खसरा संख्या 723 मि. रकबा 0.028 है, कुल 03 किता रकबा 0.402 है के संकमणीय भूमिधर दर्ज कानजात हैं। उक्त भूमि कृषि, बागवानी, पशुपालन व कुक्कुटपालन आदि के उपयोग में नहीं लायी जा रही है। अपने कथन को पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

उक्त प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा संस्तुति आख्या दिनांक- 6.9.2012 प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित किया गया है कि गौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या 327 खसरा संख्या 57 मि. रकबा 2.002 है, खसरा संख्या 773 मि. रकबा 0.143 है, खसरा संख्या 813 मि. रकबा 0.030 है, व खसरा संख्या 147 मि. रकबा 0.006 है, कुल 04 किता रकबा 2.181 है, व खाता संख्या 327 खसरा संख्या 56 मि. रकबा 0.369 है, खसरा संख्या 785 मि. रकबा 0.005 है, व खसरा संख्या 723 मि. रकबा 0.028 है, कुल 03 किता रकबा 0.402 है के एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111 श्री जगन्नाथम कालोनी गोवर्धन चौराहा मथुरा तहसील व जिला मथुरा संकमणीय भूमिधर दर्ज कानजात हैं। उक्त भूमि कृषि, बागवानी, पशुपालन व कुक्कुटपालन आदि के उपयोग में नहीं लायी जा रही है। प्रस्तावित भूमि आवासीय विकास प्राधिकरण एवं किसी अन्य सरकारी योजना में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। उक्त भूमि से संबंधित कोई वाद किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है। तहसीलदार, मथुरा द्वारा उक्त भूमि को अकृषिक घोषित करने की संस्तुति की गई है।

तहसीलदार, मथुरा की संस्तुति आख्या दिनांक- 6.9.2012 के आधार पर यह गौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या 327 खसरा संख्या 57 मि. रकबा 2.002 है, खसरा संख्या 773 मि. रकबा 0.143 है, खसरा संख्या 813 मि. रकबा 0.030 है, व खसरा संख्या 147 मि. रकबा 0.006 है, कुल 04 किता रकबा 2.181 है, व खाता संख्या 327 खसरा संख्या 56 मि. रकबा 0.369 है, खसरा संख्या 785 मि. रकबा 0.005 है, व खसरा संख्या 723 मि. रकबा 0.028 है, कुल 03 किता रकबा 0.402 है को उ0प्र0जमींदारी विन्यास एवं भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत इस सत के साथ गैर कृषिक प्रयोजन हेतु उद्घोषित किया जाता है कि यह उद्घोषणा उक्त भूमि के कृषिक उपयोग में लाये जाने पर तथा मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के प्रवृत्ता नियमों/निर्देशों एवं अन्य किसी विधिक प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति में स्वतः निरस्त मानी जायेगी। तहसीलदार, मथुरा की संस्तुति आख्या आदेश का भाग रहेगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार, मथुरा इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उक्त घोषणा का राजस्व अधिलेखों में इन्दाज कराएं तथा यदि उक्त भूमि भविष्य में कृषि कार्य के उपयोग में लायी जाती है तो तत्काल आख्या प्रस्तुत करें। उक्त आदेश की एक प्रतिलिपि उप निबन्धक, मथुरा को अधिलेखों में पंजीकृत करने हेतु तथा एक प्रति सचिव मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। वाद आवश्यक कार्यवाही भ्राम्याली दाखिल दफ्तर होवे।

दिनांक-

यह आदेश खुले न्यायालय में उद्घाटित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक-

(हवलदार सादत)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

(हवलदार सादत)
उप जिलाधिकारी, मथुरा



May

11-11-64

अ. जा. व. ०-२३३

शाह जीहं

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥



जो० च० आकार पत्र-४५

(नियम ६७)



यदि नकलकी जाय तो भी 27 के गमीन तौर की गई बातों

संस्थान महाराष्ट्र अजुना अजुना अजुना

संस्थान का नाम	संस्थान का नाम, पिता का नाम, तालुका	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम
325	महाराष्ट्र पुन अजुना	अजुना	अजुना	अजुना	अजुना	अजुना	अजुना	अजुना	अजुना
326	महाराष्ट्र पुन मुकुन्दा	मुकुन्दा	मुकुन्दा	मुकुन्दा	मुकुन्दा	मुकुन्दा	मुकुन्दा	मुकुन्दा	मुकुन्दा
327	महाराष्ट्र पुन मुकुन्दा	मुकुन्दा	मुकुन्दा	मुकुन्दा	मुकुन्दा	मुकुन्दा	मुकुन्दा	मुकुन्दा	मुकुन्दा

प्राथमिक पत्र की संख्या 4955
 नाम प्रथमिका का 4955
 कीमत स्टांप 5
 प्राथमिक पत्र देने का दिनांक 10/4/15
 नकल देयारी का दिनांक 10/4/15
 हस्त नकल 100

संस्थान अजुना
 जिला अजुना

हो मिला नकल
 हो नकल नकल
 हो नकल नकल

संस्थान अजुना
 जिला अजुना
 कलकत्ता, मथुरा

प. पी. (न.)-16 नकल नकल-2 2-89-12.5



[Handwritten musical notation]

100

360 395































1911

[illegible][illegible][illegible]

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

५० निजान्तर्गतः ५०
५१ उपर्युक्तान्तर्गतः ५१
५२ उपर्युक्तान्तर्गतः ५२

५१२५ प्रान्तिनिर्देश
राज्यपाली निदेशिका
कानून १९७५

क्रमांक 24/4770
नाम श्री 0 पुनः
मता 1/7

आज दिनांक 09/07/2012 को
पक्षी सं 1 जिल्ह सं 8585
पृष्ठ सं 169 से 198 पर क्रमांक 11282
निर्दिष्ट किया गया।

गिरफ्तारी अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. यादव
उप-निबन्धक
मथुरा-प्रथम
9/7/2012